परियोजना का नाम :--

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (लम्बाई—28.100 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. (i) (ii) (iii)	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति राज्य / संघ राज्य क्षेत्र जिला जिला वन प्रभाग	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	सौड़ से ओसला मोटर मार्ग उत्तरखण्ड। उत्तरकाशी। गोविन्द वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	-	7.20 हैं।
8. 9.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि का विधिक प्रास्थिति अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा:-		आरक्षित व सिविल सोयम।
(i)	वन का प्रकार	;-	चीड़ दर ।
(ii)	वनस्पति का औसल पूर्ण घनत्व	-	0.2
(iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:-	172 वृक्ष।
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना	:-	
10.	का नुस्खा भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	1-	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
11.	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	:	2 कि0मी0।
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की	:-	उपयोगी है।
(i)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि क लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	:	भालू, घुरल, बन्दर, लंगूर, जंगली सुअर, सेही आदि।
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र कोरिडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व,		
	हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की		
	सीमा से दस कि0मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और		44 A
	मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	!	(हॉ) गोविन्द वन्य जीव विहार / रा०पा०, पुरोला!

	(iv)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व,		
No.		हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की		
)		सीमा से एक किल्मी के अन्य करिया के जीन वाली प्रस्तावित वन भूम का		
0		सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और		
1	(v)	मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	1-	
		क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के		
9	13.	खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	- James	नही।
1	10.	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या		
>		कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए		
		सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) के साथ उसका ब्यौरा दे)	-	नही।
	14.	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की		
2	4.1	युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दे	:	नही।
0	(i)	क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित		
0		वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है	-	हाँ।
	(ii)	यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए		
)		योग किया जा सकता है	1-	हाँ।
2	15.	किए गये अतिक्रमण के व्यौरे :-		
3	(i)	क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में		
3		किसी कार्य को किया गया (हां / नहीं)	3-	नहीं।
	(ii)	यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिक्रमण के		
2		लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	:-	
0	(iii)	क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नही)	:	नही।
2	(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची, लागत सरंचना		
3		आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)	;-	हां।
	(v)	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय	:	
	(vi)	क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गये		
-	(,,)	क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न		
2		है (हां / नहीं)		हां।
2	16	वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित		
)	16.	महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाये जाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण		
		रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)	-	हां।
7		स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिदृष्टि		
)	17.	सिफारिशों	-	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को
3		144-pit-41i		स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।
5				
3		दिनाँक 1910312020	हस्ताक्षर	
3				
3		स्थान पुरोत्पा	साम – र	बलवन्त सिंह शाही।
3		स्थान नु र्यस्याय करान	11-1	ACM WING WOT
1		Charles	सरकारी	मोहर उप निवंशक
-		वन क्षत्राधिकारी सांकरी रेंज	सारकारा	गोविन्द वन्य जीव विहास वर्ण पर
2	A.	गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पाक		पुरोला, क्तराखण्य
)	3	पगेला (उनग्कागी)		
-	35		The Name of Street, or other transferred to the Street, or other t	